

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113
प्रमाण-पत्र सं० 78/18

आवेदन सं० 12193/18

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1988 से 2018 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी की गई और तलाशी के बाद निम्न व्यवहारों और अवधारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	142	3	40	5	6	7	8	9
	मि०/मि० - चं० अ०/ब० - मि०/मि०							
	253, 138, 128, 140, 15, 16						681, 583,	
	582, 583, 741, 576, 581, 714, 574, 572							

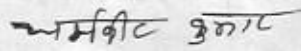
(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में, व्याज की दरें और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

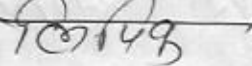
2. पट्टे की दशा में पट्टी की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(कृ.पू.उ.)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार का पता नहीं चला है।

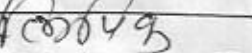
निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया—

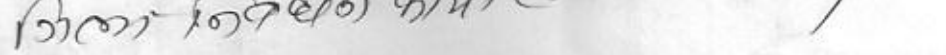
(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

कार्यालय :- 

तारीख 19/12/18 मुहर



(निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

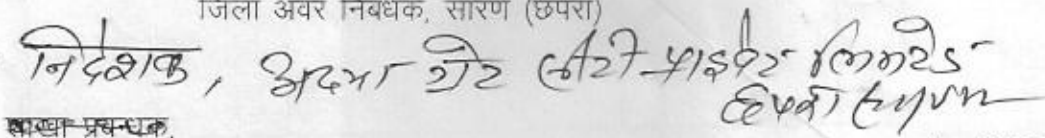
19/12/18

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण देकर किन्हीं इन संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाना गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
 2. निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणीयों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविर्दिष्ट संपत्तियों के प्रमाण-पत्रों के जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणीयों उनके सामने रख दी जायेगी।
- (क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामलों में आवेदक ने स्वयं तलाशी किया है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग द्वारा किये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होता।
- (ख) और, चूंकि वर्तमान मामलों में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

जिला अवर निबंधक, सारण (छपरा)

सेवा में,



सावधान-प्रबन्धक,

के पत्रांक

दिनांक 17/12/18

के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला अवर निबंधक
सारण (छपरा)

12/12/18